राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 237/2011/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट द्वितीय, वृत–एच, जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मद्रास टी कम्पनी
जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री क्रान्ति मेहता
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक 20.02.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 39/अपील्स–II/2010–11/जेपीएच/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 18.08.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है,जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, वृत–एच, जयपुर (जिसे आगे 'सशक्त अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित कर रू. 8,064/– एवं शास्ति रू. 60,480/– कुल रू. 68,544/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 24.10.2008 को वाहन संख्या आर.जे.–14/2जी–6884 को इन्दिरा बाजार, जयपुर में रोक कर चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में 210 बैग चाय के लदे पाये गये। वाहन चालक/माल प्रभारी से वाहन में लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर उसने मै. मद्रास टी कम्पनी,1013 मिश्र राजाजी का रास्ता, चांदपोल, जयपुर का 300 बैग चाय का चालान नम्बर 1554 दिनांक 24.10.2008, जो मैसर्स मोवनी टी सेल्स, जोधपुर को जारी है, पेश कर बताया गया कि उसके पास परिवहनित माल से सम्बन्धित इसके अलावा कोई दस्तावेज नहीं है। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत चालान की जांच पर पाया गया कि चालान में 300 बैंग चाय के अंकित है जबकि वाहन में 210 बैग चाय के लदे हैं, जो चालान में अंकित माल से कम के है। अतः सशक्त अधिकारी ने वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत चालान को बोगस/मिथ्या होने के सन्देह में माल को निरूद्ध करके अधिनियम की धारा 76 (6) के

अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त जारी नोटिस की पालना में फर्म के मैनेजर श्री भुवनेश भारद्वाज ने जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रकरण का फैसला उसी दिन करने का निवेदन किया। सशक्त अधिकारी ने नोटिस के जवाब प्रस्तुत उत्तर को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 76 (2) एवं (5) का उल्लंघन मानते हुए वाहन चालक/वाहन प्रभारी द्वारा प्रस्तुत चालान में अंकित माल की मात्रा में अन्तर पाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत परिवहनित माल 210 बैग चाय की दर 96/–प्रति किलोग्राम मानते हुए माल की कीमत रू. 2,01,600/– पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 60,480/– एवं 4 प्रतिशत की दर से कर रू. 8,064/–आरोपित करते हुए कुल रू. 68,544/–की मांग सृजित की। उक्त सृजित मांग से असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने सशक्त अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2010 पारित किया,जिससे क्षुब्ध होकर सशक्त अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग वाहन में 210 बैग चाय के लदे पाये गये और वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किये गये चालान में 300 बैंग चाय के अंकित है, जो चालान में अंकित माल से कम के है, जिससे अधिनियम की धारा 76 (2) व (5) का स्पष्ट उल्लंघन है। उनका कथन है कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने पर उन्होंने केस का फैसला उसी दिन करने का निवेदन किया है, जिससे स्पष्ट है कि माल का परिवहन बोगस/मिथ्या चालान के द्वारा किया जा रहा था। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त किया गया है,जो अधिनियम के प्रावधानों एवं प्रकरण के तथ्यों के विरूद्ध है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि फर्म द्वारा 300 बैग चाय के मैसर्स मोवनी टी सेल्स, जोधपुर को डिस्पैच किये जाकर चालान नम्बर 1554 दिनांक 24.10.2008 के द्वारा भिजवाया जाना था, किन्तु उक्त माल को लोड करवाते समय वाहन में जगह कम होने के कारण 300 बैग चाय के स्थान पर 210 बैग चाय का ही लदान किया गया तथा शेष 90 बैग को उसी वाहन से दूसरे राउण्ड में भिजवाया गया है। उनका कथन है कि उक्त माल पर कर वसूल किया गया

है इसलिए उसके द्वारा कोई कर चोरी नहीं की गई है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने से पूर्व चालान में अंकित फर्मों की जांच कर तथ्यों का सत्यापन किया जाकर दस्तावेज/चालान को गलत अथवा बोगस सिद्ध किया जाना चाहिए था, जो सशक्त अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए उनका आदेश दिनांक 24.10.2008 तथ्यों व विधिक स्थिति के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समग्र रूप से विवेचन करने के पश्चात सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त किया गया है, जो विधिक एवं तथ्यपरक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 24.10.2008 को वाहन संख्या आर.जे.–14/2जी–6884 को इन्दिरा बाजार, जयपुर में रोक कर चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में 210 बैग चाय के लदे पाये गये, जिससे सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर उसने मै. मद्रास टी कम्पनी,1013 मिश्र राजाजी का रास्ता, चांदपोल, जयपुर का 300 बैग चाय का चालान नम्बर 1554 दिनांक 24.10.2008 का चालान प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत चालान में 300 बैंग चाय के अंकित है जबकि वाहन में 210 बैग चाय के लदे हैं, जो चालान में अंकित माल से कम के है।

6. उक्त तथ्यों के पाये जाने पर सशक्त अधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने पर मद्रास टी कम्पनी की ओर से जवाब पेश किया गया है,जिसमें अंकित किया है कि 'माल के साथ चालान नम्बर 1554 था,जिसमें 300 बैग अंकित है, लेकिन किसी कारण वाहन में 210 नग ही भेज पाये हैं। कृपया नियमानुसार कार्यवाही कर निरूद्ध माल को आज ही छोडने की कृपा करें। हमारे माल की दर 96/–प्रति किलो से है।" उक्त प्रकार से जवाब दिये जाने पर सशक्त अधिकारी ने माल की कीमत पर कर एवं शास्ति आरोपित की है। अपीलीय अधिकारी के समक्ष यह कथन किया गया है कि फर्म द्वारा 300 बैग चाय के मैसर्स मोवनी टी सेल्स, जोधपुर को डिस्पैच किये जाकर चालान नम्बर 1554 दिनांक 24.10.2008 के द्वारा भिजवाया जाना था, किन्तु उक्त माल को लोड करवाते समय वाहन में जगह कम होने के कारण 300 बैग चाय के स्थान पर 210 बैग चाय का ही लदान किया गया तथा शेष 90 बैग को उसी वाहन से दूसरे राउण्ड में भिजवाया गया है, जो विरोधाभासी है। वक्त चेंकिग प्रस्तुत किया गया मद्रास टी कम्पनी का चालान संख्या 1554 दिनांक 24.10.2008 में बोवनी टी सेल्स, जोधपुर अंकित किया है, जिसमें उसका पूर्ण पता अंकित नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट

नहीं होता है वह कहां पर स्थित है। इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट कम्पनी का नाम किरण अंकित किया है, उसका भी पूर्ण पता अंकित नहीं किया है जिससे यह प्रकट नहीं होता है कि वह कहां पर स्थित है।

7. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट रूप से उजागर होता है कि वक्त चेंकिंग वाहन में लदे माल से अधिक माल का चालान वाहन चालक/वाहन प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अंकित माल से कम माल का परिवहन किया जाना पाया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 76 (2) के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। वक्त चेकिंग परिवहनित माल के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्तर्गत विहित दस्तावेज होने चाहिए, जो नहीं पाये गये, जिससे करापवंचन की दोषी मानसिकता प्रमाणित होती है । अतः सशक्त अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को अपास्त कर अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक आदेश पारित किया गया है,जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। फलस्वरूप अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2010 को अपास्त करते हुए सशक्त अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(**खेमराज**)
अध्यक्ष